न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/44/2026 दायर दिनांकः–30.04.2026 रजि0 न0 2026/82

अपीलार्थीः–

श्री चन्द्रपाल, एफ–54, संजय कॉलोनी, भाटी माईन्स, नई दिल्ली–110074

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 19.05.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2026 जो कि शासन सहायक सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प०31(39) मं.सं./2026 जयपुर दिनांकः 27.01.2026 के माध्यम से अन्तरण पर प्राप्त हुआ, के परिप्रेक्ष्य में किए गए विनिश्चय–पत्र सं. 384–86 दिनांक 07.04.2026 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.05.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०अ०/प्रथम अपील/2026/555 दिनांक 12.05.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2026 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में उक्तानुसार विनिश्चय कर अपीलार्थी मय संबंधित कार्यालयों को संसूचति किया जा चुका है तथा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2026 के संबंध में तहसीलदार रामगढ के पत्रांक 765 दिनांक 23.04.2026 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनके द्वारा भी प्रकरण में पत्र सं. 67 दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०अ०/प्रथम अपील/2026/557 दिनांक 12.05.2026 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। तथा अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना, वर्ष 2016 में स्थिति में तहसीलदार रामगढ के प्रथम अपील अधिकारी/ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी– उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर) के समक्ष पृथक से प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 19.05.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर